

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 521/2025

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरचेत सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नुकेरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

-वादी

## बनाम्

1. सुखमन्दर सिंह पुत्र श्री हरचेत सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नुकेरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. भीम सिंह पुत्र श्री हरचेत सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नुकेरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. सुनीता देवी पुत्री श्री हरचेत सिंह पत्नी श्री जसवन्त सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति)  
निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद ढाणी 35  
एल.एल.डब्ल्यू. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज.)
4. हरचेत सिंह पुत्र श्री सोहन लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नुकेरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया।

-प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट  
प्रतिवादी सं. 1ता4 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

## दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते  
इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादीगण  
मिन जामिन मुदई तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी सं. 1ता4 मिन  
जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं कि वाद वादी डिक्री किया जाकर  
आदेश दिया जाता है कि चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 215/126 खाता गुरबचन

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्यत् 2072-2075 (जमाबन्दी 2078) में दर्ज कुल 3.020 है. आराजी में से प्रतिवादी सं. 4 हरचेत सिंह पुत्र श्री सोहनलाल के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 1.0066 है. आराजी के वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 ब.डि. व के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 3 व 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर उक्त घक के उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 4 हरचेत सिंह पुत्र श्री सोहनलाल का नाम कलमजन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

निज .......... निल .......... मुब्लिक .......... निल .......... बाबत् .....  
.....निल.......... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..........को अदा करे।

बसब्ल मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 24.10.2022 को जारी किया जाता है।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
संघमिया